अदालतः– उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.
अज अदालत :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीयाः–

भंवरीदेवी पत्नि सुखाराम जाति मेघवाल उम्र 47 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. ओमप्रकाश पुत्र पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
2. कमला पुत्री लच्छीराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
3. कैला देवी पुत्री पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
4. कानाराम पुत्र भागीरथराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
5. कालुराम पुत्र लच्छीराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
6. गिरधारी पुत्र हीराराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
7. धन्नी देवी पत्नि पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
8. धर्मचन्द पुत्र लच्छीराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
9. पुर्वा पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
10. प्राची पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
11. पायल पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
12. भंवरलाल पुंत्र भागीरथराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
13. भवरी देवी पुत्री पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
14. मगनी देवी पत्नि गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
15. मन्जु पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
16. मनोहरी देवी पुत्री अमराराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
17. महेश कुमार पुत्र गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
18. मोहनलाल पुत्र हीराराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
19. राजेश कुमार पुत्र गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
20. लालचन्द पुत्र पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
21. विमला देवी पुत्री पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
22. सुमन पुत्री गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
23. सम्पत पुत्री गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
24. सरोज देवी पत्नि गोंविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
25. मुन्नी देवी पत्नि समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
26. अशोक पुत्र समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां नाबालिक जरिये संरक्षक माता मुन्नी देवी पत्नि समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
27. ज्योति पूत्री समदर जाति–मेघवाल [illegible] मीठड़ी तहसील नावां नाबालिक जरिये संरक्षक माता मुन्नी दे[illegible] निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
28. नीलु पुत्री समदर जाति–मेघवाल [illegible] तहसील ना[illegible]बालिक जरिये संरक्षक माता मुन्नी दे[illegible] मेघवाल निवासी–मी[illegible] तहसील नावां

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

29. उप पंजियक नावां।
30. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार नावां।

मुकदमा नम्बर :– 00/2023 | निर्णय दिनांक :– 29.11.2023

इन्तखाब (?) फरीकैन कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीया एवं श्री रामेश्वरलाल भींचर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीया का दावा पत्र एवं प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 885 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. कुआं, खसरा नम्बर 886 रकबा 2.84 हैक्टर कुल रकबा 2.86 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.11.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीजान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:45 IST
Reason: SelfAttested

भंवरीदेवी बनाम ओमप्रकाश वगैरह
मुकदमा नम्बर 96 / 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया:–

भंवरीदेवी पत्नि सुखाराम जाति मेघवाल उम्र 47 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. ओमप्रकाश पुत्र पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
2. कमला पुत्री लच्छीराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
3. कैला देवी पुत्री पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
4. कानाराम पुत्र भागीरथराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
5. कालुराम पुत्र लच्छीराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
6. गिरधारी पुत्र हीराराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
7. धन्नी देवी पत्नि पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
8. धर्मचन्द पुत्र लच्छीराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
9. पुर्वा पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
10. प्राची पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
11. पायल पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
12. भंवरलाल पुंत्र भागीरथराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
13. भवरी देवी पुत्री पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
14. मगनी देवी पत्नि गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
15. मन्जु पुत्री गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
16. मनोहरी देवी पुत्री अमराराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
17. महेश कुमार पुत्र गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
18. मोहनलाल पुत्र हीराराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
19. राजेश कुमार पुत्र गोविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
20. लालचन्द पुत्र पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
21. विमला देवी पुत्री पुसाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
22. सुमन पुत्री गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
23. सम्पत पुत्री गंगाराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
24. सरोज देवी पत्नि गोंविन्दलाल जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
25. मुन्नी देवी पत्नि समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
26. अशोक पुत्र समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां नाबालिक जरिये संरक्षक माता मुन्नी देवी पत्नि समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

27. ज्योति पुत्री समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां नाबालिक जरिये संरक्षक माता मुन्नी देवी पत्नि समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
28. नीलु पुत्री समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां नाबालिक जरिये संरक्षक माता मुन्नी देवी पत्नि समदर जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी तहसील नावां
29. उप पंजियक नावां।
30. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार नावां।

दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीया
श्री रामेश्वरलाल भींचर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 28

मुकदमा नम्बरः 96/2023 निर्णय दिनांकः– 29.11.2023

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 885 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. कुआं, खसरा नम्बर 886 रकबा 2.84 हैक्टर कुल रकबा 2.86 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि मं से वादीया की 1/4 हिस्से की भूमि वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है उक्त खसरान की भूमि में से वादीया खसरा न0 886 रकबा 2.84हैक्टर भूमि मे से अपने हक व हिस्से मे आई 0.715 हैक्टर भूमि पर काबिज होकर निरन्तर एवं निर्वाध रूप से काश्त करती चली आ रही है। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि का वादीया से पूर्व के खातेदारान व प्रतिवादीगण ने मौके पर काफी समय पूर्व ही भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा भौतिक बंटवारे अनुसार ही अपने अपने हक व हिस्से मे आई भूमि पर सीव डोल लगाकर सीमा कायम कर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया की कब्जे शुदा खातेदारी अधिकारो की भूमि नजरी नक्शे मे दर्षित मार्क एबीसीडी स्थान के मध्य स्थित है। नजरी नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है। वादीया अपने हक व हिस्से व कब्जे शुदा खातेदारी अधिकारो की भूमि के चारो तरफ सीव माठ डोल लगाकर सीमा कायम कर रखी है तथा अपने हक व हिस्से मे आई भूमि मे काष्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती चली आ रही है। उपरोक्त खसरा आराजीयान का भौतिक बंटवारे अनुसार भु–'विभाजन करने का कहने पर इतने दिनो तक प्रतिवादीगण वादीया को आश्वासन देते रहे अब उन्होने विधिवत भू–विभाजन करवाने से मना कर दिया तब वादीया ने हल्का पटवारी को भौतिक कब्जे अनुसार भू–विभाजन करने का कहा परन्तु हल्का पटवारी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपरोक्त अनुसार बंटवारा करने से मना कर दिया इस कारण वादीया को उक्त वाद पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीया की भूमि मे दंखलदाजी करने की नाकाम कोशिश करते रहते है तथा प्रतिवादीगण ने वादीया को ऐलानिया धमकी दी है कि हम बिना विधिवत बंटवारा करवाये बिना ही हमारे खातेदारी मे अंकित भूमि का किसी अजनबी केता को बैचान कर भौतिक कब्जा तुम्हारी भूमि का सम्भला कर तुम्हे जबरन लाठी व ताकत के बलबुते पर बेदखल कर देगे व तुम्हारे कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग व उपभोग तुम्हे नही करने देगे। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना जरूरी हो गया है। खातेदार समदर पुत्र भागीरथराम जाति–मेघवाल निवासी–मीठड़ी का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये उनको वाद मे पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाकर उनके विधिक वारिसान को वाद मे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 885 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. कुआं, खसरा नम्बर 886 रकबा 2.84 हैक्टर कुल रकबा 2.86 हैक्टर भूमि मे से वादी की 1/4 हिस्से की भूमि अर्थात 0.715 हैक्टर भूमि जो वादीया के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो की चली आ रही है। उक्त खसरान की भूमि मे से वादीया खसरा नम्बर 886 रकबा 2.84 हैक्टर भूमि मे से अपने हक व हिस्से मे आई 0.715 हैक्टर भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादीया की कब्जे शुदा खातेदारी अधिकारो की भूमि नजरी नक्शे मे मार्क एबीसीडी मार्क के मध्य स्थित है उक्त भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी की भूमि का भौतिक कब्जे अनुसार व नजरी नक्शे अनुसार भू–विभाजन किया जावे। इस आशय की इस्तकरार हक व भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण फरमाने जावे। वादी की उक्त भूमि की 1/4 हिस्से की भूमि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो की भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है प्रतिवादीगण बिना विधिवत भू–विभाजन करवाये बिना उक्त भूमि का बैचान हस्तानान्तरण नही करे। ना ही वादी को उसके कब्जे शुदा खातेदारी अधिकारो की भूमि के उपयोग व उपभोग मे दंखलदाजी नही करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे प्रतिवादीगण द्वारा बैचान हस्तानान्तरण दस्तावेज पेश करने पर उसे प्रतिवादी संख्या 10 स्वीकार नही करे प्रतिवादी संख्या 11 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 29, 30 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8, 12, 14, 18, 20, 24 ता 28 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल मीणा ने इकबाली जवाब दावा मय काउंटर दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी शुदा कृषि भूमिया ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 885, 886 कुल रकबा 2.86 हैक्टर में अवस्थित हैं जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण का हक, हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है एवं इसी अनुसार अन्य प्रतिवादीगण भी अपने–अपने हक, हिस्से की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण हक हिस्सा मौके पर कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा व अलग से सीव नीव कायम है एवं इसी अनुसार प्रतिवादीगण भी मौका स्थिति व वाहमी वंटवारे के अनुसार सींव नींव कायम करवाकर विधिवत वाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स वंटवारा करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में उत्तरदाता को भी मौके पर बाहमी वंटवारे में आये हुए कब्जे काश्त के अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार कायम कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलग से वट्टा नम्बर एवं पुख्ता सींव नींव कायम करके रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना प्रार्थनीय है। उक्त भूमि का कब्जा प्रतिस्थातिप किया जाकर विधिवत वाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स वंटवारा करते हुए प्रतिवादीगण को मौके पर भौतिक कब्जानुसार उपरोक्त भूमियों की अलग अलग नीव सीव कायम कर अलग अलग लगान निर्धारित कर अलग से काविज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि में पक्षकारान के मध्य विधिवत वंटवारा होने से पहले इन भूमियों में से वादीया व उसके परिजनों द्वारा प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि की नीव सीव तोड फोड करने, कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने, करवाने, मौका स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने, करवाने, रहन बैचान व हस्तानांतरण करने आदि किसी भी रूप में दखलंदाजी करने से बाज रहे। प्रतिवादी संख्या 2, 9 ता 11, 13, 15 ता 17, 19, 21 ता 23 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल भींचर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8, 12, 14, 18, 20, 24 ता 28 की ओर से प्रस्तुत जवाव दावा को ही प्रतिवादी संख्या 2, 9 ता 11, 13, 15 ता 17, 19, 21 ता 23 की ओर से जवाव दावा समझा जावें। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया भंवरीदेवी, पी.डब्ल्यू.2 गवाह रामनिवास पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां, पी.डब्ल्यू.3 सुखाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत हुए। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई। उभयपक्षकारान की वहस सुनी गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से वंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री निर्णय लिखाया जाकर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 885 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. कुआं, खसरा नम्बर 886 रकबा 2.84 हैक्टर कुल रकबा 2.86 हैक्टर भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 की भूमि का प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 885 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. कुआं, खसरा नम्बर 886 रकबा 2.84 हैक्टर कुल रकबा 2.86 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:45 IST
Reason: SelfAttested